रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072024-255632 CG-DL-E-22072024-255632

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] No. 391] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2024/आषाढ 31, 1946 NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2024/ASHADHA 31, 1946

# वित्त मंत्रालय

# (वित्तीय सेवाएं विभाग)

# अधिसुचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 428(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बतूर और बंगलोर भर्ती नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बतूर और बंगलोर भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 है।
  - (2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बतूर और बंगलोर भर्ती नियम, 2018 में, -
  - (क) पहली अनुसूची में आशुलिपिक ग्रेड II के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने,-

4432 GI/2024 (1)

- (i) स्तंभ (8) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि '1' रखी जाएगी;
- (ii) स्तंभ (12) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि '1' रखी जाएगी;
- (iii) स्तंभ (13) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि '10' रखी जाएगी;
- (ख) दूसरी अनुसूची में आशुलिपिक ग्रेड II के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने स्तंभ (2) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "10\*(2024)" रखी जाएगी।

[फा. सं. 4/01/2024-डीआरटी]

एस. डी. शर्मा. अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 536(अ), 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सं. सा.का.िन. 427(अ), 21 जून, 2021 और अधिसूचना सं. सा.का.िन. 483(अ), 6 जुलाई, 2023 द्वारा और संशोधन किया गया था।

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Financial Services)

# **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2024

- **G.S.R. 428(E).**—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment Rules, 2018, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment (Amendment) Rules, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment Rules, 2018,-
  - (a) in the First Schedule, against Serial Number 10 relating to the post of Stenographer Grade-II,-
  - (i)under column (8), for the existing entry, the entry "1" shall be substituted;
  - (ii) under column (12), for the existing entry, the entry "1" shall be substituted;
  - (iii)under column (13), for the existing entry, the entry "10" shall be substituted;
- (b) in the Second Schedule, against Serial Number 10 relating to the post of Stenographer Grade- II, under column (2) for the existing entry, the entry "10\*(2024)" shall be substituted.

[F. No. 4/01/2024-DRT]

S.D. SHARMA, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 536 (E), dated the 8<sup>th</sup> June, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R 427 (E) dated the 21<sup>st</sup> June, 2021 and further amended vide notification number G.S.R 483 (E) dated the 6<sup>th</sup> July, 2023.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 429(अ) - केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 है।
  - (2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली और ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती नियम, 2018 में.-
  - (क) पहली अनुसूची में आशुलिपिक ग्रेड II के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने,-
  - (i) स्तंभ (5) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि '1' रखी जाएगी;
  - (ii) स्तंभ (11) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि '8' रखी जाएगी:
  - (ख) दूसरी अनुसूची में आशुलिपिक ग्रेड II के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने स्तंभ (2) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "08\*(2024)" रखी जाएगी।

[फा. सं. 4/01/2024-डीआरटी]

एस. डी. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 537(अ), 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 428(अ), 21 जून, 2021 और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 484(अ), 6 जुलाई, 2023 द्वारा और संशोधन किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2024

- G.S.R. 429(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment Rules, 2018, namely:—
- **1. Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment (Amendment) Rules, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment Rules, 2018,-
  - (a) in the First Schedule, against Serial Number 10 relating to the post of Stenographer Grade-II, -
  - (i) under column (5), for the existing entry, the entry "1" shall be substituted;
  - (ii) under column (11), for the existing entry, the entry "8" shall be substituted;
  - (b) in the Second Schedule, against Serial Number 10 relating to the post of Stenographer Grade-II, under column (2) for the existing entry, the entry "08\*(2024)" shall be substituted.

[F. No. 4/01/2024-DRT]

S.D. SHARMA, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 537 (E), dated the 8<sup>th</sup> June, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R 428 (E) dated the 21<sup>st</sup> June, 2021 and further amended vide notification number G.S.R 484 (E) dated the 6<sup>th</sup> July, 2023.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2024

सा.का.िन. 430(अ) - केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 है।
  - (2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई और ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती नियम, 2018 में,-
  - (क) पहली अनुसूची में आश्लिपिक ग्रेड II के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने,-
  - (i) स्तंभ (5) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि '1' रखी जाएगी;
  - (ii) स्तंभ (12) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि '9' रखी जाएगी;
  - (ख) दूसरी अनुसूची में आशुलिपिक ग्रेड II के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने स्तंभ (2) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "09\*(2024)" रखी जाएगी।

[फा. सं. 4/01/2024-डीआरटी]

एस. डी. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 539(अ), 8 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सं. सा.का.िन. 430(अ), 21 जून, 2021 और अधिसूचना सं. सा.का.िन. 486(अ), 6 जुलाई, 2023 द्वारा और संशोधन किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2024

- G.S.R. 430(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment Rules, 2018, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment (Amendment) Rules, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment Rules, 2018, -
  - (a) in the First Schedule, against Serial Number 10 relating to the post of Stenographer Grade-II'-
    - (i) under column (5), for the existing entry, the entry "1" shall be substituted;
    - (ii) under column (12), for the existing entry, the entry "9" shall be substituted;
  - (b) in the Second Schedule, against Serial Number 10 relating to the post of Stenographer Grade- II, under column (2) for the existing entry, the entry "09\*(2024)" shall be substituted.

[F. No. 4/01/2024-DRT]

S. D. SHARMA, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 539(E), dated the 8<sup>th</sup> June, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 430(E) dated the 21<sup>st</sup> June, 2021 and further amended vide notification number G.S.R. 486 (E) dated the 6<sup>th</sup> July, 2023.